Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक NH -149 B, कोरबा को चांपा–कोरबा–छुरी–कटघोरा सेक्शन के लिए कोरबा वनमंडल अंतर्गत 2.820 हे. एवं जांजगीर जांपा वनमंडल अंतर्गत 1.673 हे. वन भूमि कुल 4.493 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 28 -08-2021

Place : Raipur

28.8.21.

Name - Prem Kumar

Designation - Secretary,

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

PREM KUMAR
Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Forest & Climate Change Dept.
Mantralaya Mahanadi Bhawan
Nawa Raipur Atal Nagar

छत्तीसगढ़ शासन

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–22/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 01-9-/08/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

छत्तीसगढ़, – 492015।

विषय :– आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एन.एच–149 B, कोरबा द्वारा कोरबा वनमंडल अंतर्गत 2.820 हे. एवं जांजगीर जांपा वनमंडल अंतर्गत 1.673 हे. वन भूमि चांपा–कोरबा–छुरी–कटघोरा सेक्शन के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 4.493 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–764 /1323, दिनांक 23.06.2021 ।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, रायपुर, से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ सं
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एन.एच–149 B, कोरबा द्वारा कोरबा वनमंडल अंतर्गत 2.820 हे. एवं जांजगीर जांपा वनमंडल अंतर्गत 1.673 हे. वन भूमि चांपा–कोरबा–छुरी–कटघोरा सेक्शन के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 4.493 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	1 –5
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी कोरबा द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक–FP/CG/ROAD/37444/2018 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.09.2019 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29000 रूपये जमा कराया गया है।	6 – 9
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** कोरबा वनमंडल अंतर्गत 2.820 हे. एवं जांजगीर जांपा वनमंडल अंतर्गत 1.673 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 4.493 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	11 –18
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्तावित क्षेत्र में कोरबा एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल अंतर्गत 167.099 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	19 –22
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर–** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	23 – 28
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	29 – 40

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ सं
7	**प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र–4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 4.493 हे. राजस्व वन भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 66220 लाख बतायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.3 तक है।	41 – 52
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप –** कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत 2.820 हे. एवं जांजगीर जांपा जिले के जांजगीर–चांपा वनमंडल अंतर्गत 1.673 हे. राजस्व वन भूमि चांपा–कोरबा–छुरी–कटघोरा सेक्शन के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 4.493 हे. राजस्व वन भूमि के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।	53 – 64
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	65 – 68
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	69 – 72
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** पर्यावरण स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 अनुक्रम में अधिसूचना 2006 के संशोधन दिनांक 22.08.2013 के अधिसूचना के अंतर्गत आवश्यक नहीं है तदाशय का अधिसूचना प्रति संलग्न है।	73 – 78
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में कोरबा वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र वृक्ष विहीन है जबकि जांजगीर–चांपा वनमंडल अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े 3 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।	79 – 85
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** प्रस्तावित परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।	86 – 87
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है।	88 –103
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा संलग्न है।	104 –127
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि 4.493 हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि, मरवाही वनमंडल अंतर्गत पेण्ड्रा परिक्षेत्र, परिसर गोड़गार, कक्ष क्रमांक 2355 में 10.000 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन संलग्न है।	128 –156
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	157 – 159
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वनमंडलाधिकारी कोरबा एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	160 – 161
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।	162 – 163
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।	164 – 165
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित परियोजना भारत सरकार का उपक्रम होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन भूमि में वृक्षारोपण करने का प्रावधान है। अतएव गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	166 – 171

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ सं
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान** – प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं होगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।	172 – 173
23	**रिक्लेमेशन प्लान** – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	174 – 175
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	176 – 177
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्ताव किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	178 – 185
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** भाग–2 पर वनमंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल द्वारा दिनांक 19.11.2020 को एवं वनमंडलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमंडल द्वारा दिनांक 10.02.2020 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी कोरबा एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल के अनुशंसा से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 15.01.2021 से प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	186 – 197
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी कोरबा एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	198 – 200
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित परियोजना लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गाईड लाईन दिनांक 28.10.2014 अनुसार लीनियर प्रकरण के लिए ग्राम सभा में छूट प्रदान की गई है।	201 – 204
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** कोरबा जिले की कुल वन भूमि 2136.48 वर्ग कि.मी. है एवं जांजगीर–चांपा जिले का कुल वन भूमि 250.66 वर्ग कि.मी. है।	205 – 206
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** कोरबा वनमंडल 1089.268 हे. एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल में 232.894 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	207 – 208
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** कोरबा वनमंडल 211.466 हे. एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल में 232.894 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।	209 – 210
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी –** प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। वनमंडलाधिकारी कोरबा तथा जांजगीर–चांपा वनमंडल का एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	211 – 212
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	213 – 214
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वितीय चरण स्वीकृति के पूर्व जमा किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	215 – 221

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ सं
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** प्रस्ताव में जिला कोरबा में प्रभावित राजस्व वन भूमि रकबा 2.820 हे. का कलेक्टर कोरबा का दिनांक 11.12.2019 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। कलेक्टर जांजगीर–चांपा का राजस्व वन भूमि संबंधी दिनांक 02.01.2020 से जारी प्रमाण पत्र संलग्न है।	222 – 229
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	230 – 233
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2 nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	234 – 237
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** प्रस्तावित स्थल कृषि भूमि योग्य है जो चांवल के पैदावर के लिए बहुत अच्छा है। मृदा वृक्षों/वनस्पत्तियों के लिए सामान्य है। आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।	238 –240
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वनमंडलाधिकारी कोरबा एवं जांजगीर–चांपा वनमंडल के द्वारा दिया गया है।	241 – 242
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	243 – 244
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।	245 – 252
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** हाईवे परियोजना होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वनमंडलाधिकारियों का एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	253 – 254
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वनमंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।	255 – 256
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** तीन वैकल्पिक रूट एवं उसके औचित्य को दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न है।	257 – 318

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

31.8.21

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-22/2021/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01-9 /08/2021

प्रतिलिपि.

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, ।

2.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।

3.वनमंडलाधिकारी, कोरबा/जांजगीर–चांपा वनमंडल छत्तीसगढ़ ।

4.आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, क्रमांक एन.एच–149 B, कोरबा, छंत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग